

## कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या—9 / उपांकीट०अनु०—04 / 2014—  
प्रेषक,

/ कृ०, पटना, दिनांक

अप्रैल , 2015.

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स एड्रिस्टा लाईफ साईंस इंडिया लि०,  
H/O श्रीमती गीता देवी (गीता आश्रम),  
द्वितीय तल, प्लॉट नं०—494 एवं 495 (नीज), जकरियापुर,  
पोस्ट—बड़ी पहाड़ी, रामकृष्ण नगर, पटना—800007

**विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या 125—126 दिनांक 22.10.2014 का नवीकरण करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन कोषागार चलान एवं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, पटना सदर से प्राप्त स्थल—जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के आलोक में निम्नलिखित 69 स्वनिर्मित कीटनाशियों से संबंधित अनुज्ञप्ति संख्या—125—126 दिनांक 22.10.2014 का नवीकरण 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है।

क्र०स०	कीटनाशी का नाम	क्र०स०	कीटनाशी का नाम
1	Captan 50% WP	36	Chlorpyriphos 50% EC
2	Copper-oxy-chloride 50%WP	37	Indoxacarb 14.5% SC
3	Mancozeb 64%+ Metalaxy 8%WP	38	Chlorpyriphos 16%+Alphamethrin 1% EC
4	Sulphur 80% WP	39	Deltamethrin 1%+Triazophos 35% EC
5	Hexaconazole 5%EC	40	Cypermethrin 10% EC
6	Hexaconazole 5%SC	41	Cypermethrin 25% EC
7	Mancozeb 75%WP	42	Phosphamidon 40% SL
8	Sulphur 800 G/L suspenson concentrate	43	BMPC 50% EC-Fenobucarb
9	Carbendazim 50%WP	44	Fipronil 0.3% GR
10	Propiconazole 25% EC	45	Fipronil 5% EC
11	Metalaxy 35%WS	46	Profenophos 50% EC
12	Sulphur 80% WDG	47	DDVP (Diclorovos) 76% EC
13	Tricyclazole 75% WP	48	Lambda Cyhalothrin 2.5% EC
14	Streptomycin 9%+tetracycline 1% SP	49	Fenvalerate 0.4% DP
15	Thiram 75% DS	50	Fenvalerate 20%EC
16	Ziram 27% SC	51	Imidacloprid 17.8% SL
17	Carbendazim 12%+ Mancozeb 63%WP	52	Alphamethrin 10% EC
18	2,4D Amine Salt 58% WP (w/w)	53	Ethion 40%+Cypermethrin 5% EC
19	2,4D Sodium Salt 80% WP	54	Acephate 75% SP
20	Paraquat Dichloride 24% SL	55	Propargite 57% EC
21	Coldinafop-propargyl 15% WP	56	Prophenophos40%+Cypermethrin4% EC
22	Pendimethalin 30% EC	57	Quinalphos 25% EC
23	2, 4D Ethyl Ester 38% EC	58	Quinalphos 1.5% DP
24	Metribuzin 70% WP	59	Zinc Phosphide 80% (w/v)
25	Glyphosate 41% SL	60	Malathion 5% DP
26	Ammonium Salt of Glyphosate 71% SG	61	Malathion 50%EC
27	Pretliachlor 50% EC	62	Cartap Hydrochlorid 4%GR
28	Oxyfluorfen 23.5 EC	63	Cartap Hydrochlorid 50%SP
29	Metsulfuron Methyl 20% WP	64	Dimethoate 30% EC
30	Lambda Cyhalothrin 5% EC	65	Thiamethoxam 25% WG
31	Permethrin 25% EC	66	Triazophos 40% EC
32	Acetamiprid 20% SP	67	ANA 4.5% SL
33	Chlorpyriphos 1.5% DP	68	Ethepon 39% SL
34	Chlorpyriphos 10% GR	69	Gibberellic Acid Tech
35	Chlorpyriphos 20% EC		

2. उपर्युक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा :— मेसर्स एरिस्टा लाईफ साइंस इण्डिया लि०, H/O रंजित कुमार, प्लॉट नं०-1383, ग्राम +पो०-पहाड़ी, थाना-रामकृष्णा नगर, पटना-७

3— यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4— अनुज्ञाप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण /विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

4— भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

5— अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

6— नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।

7— आदेश दिया जाता है कि कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधान के अनुरूप उपर्युक्त प्रतिवद्धता एवं शर्तें आपके द्वारा अनुपालन किया जायेगा। अन्यथा आपकी अनुज्ञाप्ति रद्द की जा सकती है।

8— कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञाप्ति संख्या—125-126 दिनांक 22.10.2014 मूल रूप से संलग्न है। कृपया प्राप्ति की सूचना दी जाए।


विश्वासभाजन,  
ह०/-  
(धर्मेन्द्र सिंह)  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक २२६९

/कृ०, पटना, दिनांक १६-०५-२०१५

प्रतिलिपि— (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।